

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या:-3138-औ०स० / 06 11 (17)ए०एस० / 06

दिनांक:- 07.11.06

प्रबन्ध निदेशक,

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० (कैस्को),

14/ 71, सिविल लाइन्स, कैसा हाऊस,

कानपुर।

विषय:-विशिष्ट रोगों/व्याधियों की चिकित्सा विषयक कारपोरेशन के आदेश सं०-2485-औ०स०,

दिनांक 04.06.04 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित कैस्को के पत्र सं०-एस०एम०-1(ए)/1433, दिनांक 19.08.06 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारपोरेशन के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक-04.06.04 में यह व्यवस्था प्रतिपादित है कि जिन विशिष्ट रोगों/व्याधियों की चिकित्सा हेतु कारपोरेशन द्वारा विशिष्ट अस्पतालों को मान्यता प्राप्त है उन रोगों का इलाज मान्यता प्राप्त विशिष्ट अस्पतालों में ही कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के संदर्भ में कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा इमरजेन्सी, जानकारी के अभाव के कारण किसी विशिष्ट रोग/व्याधि की चिकित्सा कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य चिकित्सालय में करा ली गयी है तो ऐसे प्रकरणों में संजय गाँधी आयु० संस्थान, लखनऊ में ऐसे विशिष्ट रोग के उपचार पर होने वाले व्यय के समतुल्य अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि दोनों में जो कम हो की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य होगी। साथ ही नेत्ररोग जैसे विशिष्ट रोगों/व्याधियों के ऐसे प्रकरण जिनकी चिकित्सा संजय गाँधी आयु० संस्थान लखनऊ में उपलब्ध न हो, के सम्बन्ध में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ (K.G.M.C.) में ऐसी बीमारी पर होने वाले व्यय के समतुल्य अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि दोनों में जो कम हो, की ही नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जाएगी।

अतः प्रश्नगत प्रकरणों का कृपया उपरोक्तानुसार निस्तारण करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(कौशल चन्द्र सक्सेना),

उप महाप्रबन्धक (औ०स०)

संख्या:-3138-औ०स० / 06 11 (17)ए०एस० / 06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

(कौशल चन्द्र सक्सेना),

उप महाप्रबन्धक (औ०स०)